वित्तीय स्वीकृति

संख्या- 50/2015/2035/52-3-2015-बजट(10)/15

प्रेषक,

मो0 शफ़कत कमाल,
विशेष सचिव
उ0प्र0 □□□□

□□ में,

□□□□□,
अल्पसंख्यक कल्याण □0प्र0
□□□□□

अल्पसंख्यक कल्याण □□ वक्फ □□□□-3 □□□□ दिनांक 16 अक्टूबर, 2015

विषयः-केन्द्र पु□□□□□□□ □□□□ आधुनिकीकरण योजनान्तर्गत कार्यरत □□□□ विषयों □□ शिक्षकों □□ राज्य □□□□ □□ □□□ □□प्रति □□ अतिरिक्त □□□□ प्रदान किये □□□□□ वित्तीय स्वीकृति वे□□□□ में। (□□□□□□)

□□□□,

उपर्युक्त विषयक □□□ पत्र □0-1371/□0□0□0□0/□□0 □□0/2014 दिनांक 15.7.2015 □□ पत्र □0-1834/□0□0□0□0/□□0 □□0/2014 दिनांक 20.8.2015 □□ संदर्भ में □□□ □□□ □□ पत्र □0-949/52-3-15-□□□(10)/2015 दिनांक 6.5.2015 □□ अनुक्रम में □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□ □□ कि केन्द्र □□□□□□□□ □□□□ आधुनिकीकरण योजनान्तर्गत कार्यरत □□□□ विषयों □□ शिक्षकों □□ □□□□□ □0-2855/ 52-3-14-□□(8)/14, दिनांक 06 जनवरी, 2014 में निर्गत दिशा-निर्देश के□ अनुरूप राज्य □□□□ □□ □□□ □□प्रति □□ अतिरिक्त म□□□ प्रदान किये □□□□□□□□ वित्तीय वर्ष 2015-16 □□ □□-व्ययक में प्राविधानित ध□□□ रू0 40,28,76,000/- □□ सापेक्ष प्रथम किश्त के□ रूप में रू0 20,14,38,000/- (रू0 □□ □□□ □□□ □□ □□□□ □□□ मात्र) की □□□□□ □□□□ शर्तो/प्रतिबन्धों वे□□□□ स्वीकृत □□ □□□□ निवर्तन पर पूर्व में ही □□ □□ चुकी □□□□ रू0 20,14,38,000/-(रू0 □□ □□□ □□□ □□ □□□□ □□□ मात्र) की □□□□□ □□□□ □□ □□ व्ययक प्राविधान □□ सापेक्ष उक्त

http://shasanadesh.up.nic.in

□□□□ □□□□□ निम्नंकित शर्तो/प्रतिबन्धों के □□□ □□□□□□की □□□□□, श्री राज्यपाल □□□□ सहर्ष प्रदान □□□□□:-

(1) राज्य □□□□ द्वारा ग□□□□ □□रूप में दिये □□□□□□अतिरिक्त □□□□ □□ □□□□ □□□ उन्हीं मदरसों में कार्यरत □□□□ विषयों □□ शिक्षकों □□ किया □□□□ □□ कि □□□□ □□□□ की □□□□ आधुनिकीकरण य□□□ □□ आच्छादित □□□□ पूर्व में □□□□ □□□□ द्वारा ग□□□□में कार्यरत □□□□ विषयों □□□□□□□ □□ □□□□ किया □□□ □□

(2) □□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□ □□□□ आवश्यकता □□ □□□□ किया □□□□ □□□ □□□□□ □□ आहरित □□ बैंक/□□ □□ में □□□ नहीं किया □□□□

(3) किसी □□ □□□ में उक्त □□□□□ □□किसी अन्य □□ में पुनर्विनियोग नहीं किया □□□□

(4) □□□□ □□ रूप में राज्य □□□□ द्वारा □□ अतिरिक्त □□□□□ □□□□ शिक्षक □□व्यक्तिगत बैंक ख□□□में अन्तरित की □□□□

(5) उक्त स्वीकृत □□□□□ □□ सापेक्ष व्यय □□□□□ □□ विवरण/□□□□□□□ प्रमाण-पत्र □□□ □□ 31.12.2015 □□ उपलब्ध □□□□ □□□□ □□□□□□□ प्रमाण पत्र प्राप्त ह□ □□□□□उपरान्त ही द्वितीय किश्त की □□□□□ अवमुक्त किये □□□□□ विचार किया □□□□

(6) □□□□□ □□ □□□□ (□□टमेन्ट मात्र) किसी प्रकार □□ व्यय □□□□□ □□□□□ नहीं □□□ □□ जिन मामलों में उत्तर प्रदेश □□□ □□□□ □□ वित्तीय □□□ संग्रहों □□□ स्थायी आदेशों □□अन्तर्गत राज्य □□□□/केन्द्र □□□□ □□□□ अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की □□□ आवश्यक □□, □□ मामलों में व्यय □□□□□□ पूर्व □□□ स्वीकृति अवश्य प्राप्त □□ □□ □□□□

2. उक्त □□ □□□□□□□ व्यय □□□□ संख्या-48 □□ लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा-01-प्रारम्भिक शिक्षा -800-अन्य व्यय-02-अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में □□□□ □□□□ मदरसों □□ आधुनिकीकरण-20-□□□□□□ □□□□-सामान्य (□□ □□□) में व्यवस्थित □□□□□ □□□□□ किया □□□□

http://srasanadesh.up.nic.in

3. □□ □□□ वित्त विभाग □□ अशासकीय □0-□0-11-1103/□□-15, दिनांक 05 अक्टूबर, 2015 में प्राप्त उनकी □□□□ □□निर्गत किये □□ □□□□

भवदीय,

(□□0 □□□□ □□□□)
विशेष □□□.

संख्या- 2035(1)/52-3-15-तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं□आवश्यक कार्यवाही हे□□प्रेषित:-

1- □□□□□□□□ (□□ परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, □□□□□□□□
2- □□□□□□□□ (□□ □□ हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, □□□□□□□□
3- मुख्य कोषाधिकारी, के□□□□□□, □□□□□
4- कोषाधिकारी, ज□□□□ □□□, □□□□/वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण □□□□□□, □0प्र0 □□□□□
5- रजिस्ट्रार, □0प्र0 □□□□□ शिक्षा परिषद, 704, □□□□ □□□, □□□□□
6- कम्प्यूटर □□□□□, अल्पसंख्यक कल्याण □□0-3 □□ अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की □□ □□□□ □□ □□/□□ □□□□□□□
7- गार्ड फ□□□□

आज्ञा □,

(□□□ मुहीउद्दीन)
□□□□□□

http://shasanadesh.up.nic.in